## **RAJYA SABHA**

Friday, the Sth March, 1996/ 18th Phalguna, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair*.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS फार्मास्युटिकल उद्योगों पर सीमा शुल्क तथा व्यापार

## संबंधी सामान्य करार(गैट) का प्रभाव

- \*121. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैट समझौते से फार्मास्युटिकल उद्योग अत्याधिक प्रभावित हुए है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी दवाइयों के मूल्यों में 40 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है;
- (ग) गैट समझौते के पश्चात जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है:और
- (घ) इसके क्या कारण है तथा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतू सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (घ) पेटेंट अधिनियम, 1970 को ट्रिप्स समझौते के अनुरूप बनाने के लिए इसे अभी संशोधित किया जाना है। अतः जहां तक भेषज उद्योग का समबन्ध है, यथापूर्व स्थिति कायम रहती और मूल्यों में कोई वृद्धि होने पर गैट समझौते को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, so far as the reply 10 my question is concerned, it is not satisfactory. We cannot be left out with an excuse that the Patent Act, 1970 has not been amended. The Government is more responsible for the sky-rocketing prices of medicines. The prices of medicines have increased by 40 to 143 per cent. (Interruptions)

श्री राम लखन सिंह यादव : सुनाई नहीं पड़ता है । ...(व्यवधान)...

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, an excuse has been given that the Patent Act of

1970 has not been amended with regard to the TRIPS. But I would say that the Government is more responsible for not restricting the prices of medicines which have been sky-rocketing. The increase in prices has been between 40 and 143 per cent within the last three years. The Government has failed. I would like to know what policy the Government is going to have to restrict the prices of common medicines and life-saving drugs so that these remain within the reach of the common man.

श्री राम लखन सिंह यादव: प्रश्न था कि गैट समझौते के अनुसार मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है या नहीं? मैंने जवाब दिया है कि इसके चलते कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो सामान्य मूल्य में वृद्धि के कारण हैं इस देश में और जिसके लिए उद्योग विभाग में एक खास सैल है, जहां से सारे मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुसार देखा जाता है कि किसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उसका असर जो पड़ता है उतना ही फर्क पड़ा है। गैट समझौते का किसी पर असर नहीं पड़ा है।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: So far as the GATT is concerned, 1 leave it because the Minister has come forward with the excuse that the Patents Act has not been amended as yet. Sir, I have come across news reports which show that out of 100 advertisements in medical journals, 32 per cent of the claims are misleading advertisements, 57 per cent advertisements have little or no educational value and 44 per cent of advertisements would have led to improper prescriptions and this is the cause of increase in the prices of drugs and medicines. I would like to know whether the Government has ever thought of procecuting those persons who giving false and improper advertisements. At the same time, I would also like to know whether the Government has so far prosecuted anyone for wrong prescription.

श्री राम लखन सिंह यादव: मैंने इसका पहले उत्तर दिया है लेकिन माननीय सदस्य जो कहते हैं उसके अनुसार जो कुछ ये थोड़ी सी दवाइयों में अन्य कारणों से मूल्य बढ़े हैं और जो-जो इनके मैन्युफेक्चर हैं, उनको, 15 ऐसे लोगों को बुलाकर के कहा गया है कि आपके यहां की जो बनी हुई दवाई है, उसका बाजार में इतना भाव बढ़ा है, उसके कारण क्या है और उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए उनको बुलाकर पृष्ठा गया है।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention

of the hon. Minister that the Drug Price Control Order is a social legislation, but unfortunately it has been reduced to a class legislation. Three days ago in the Observer and today in Sahara it has come to our notice that as a result of the GATT Agreement, the marketing cost of drugs manufactured by multinationals has increased by 50 to 500 per cent as compared to the marketing cost of drugs manufactured by Indian companies. Sir, the hon. Minister has not replied to part (b) of the question. Sir, the increase in the prices of drugs is not 40 per cent, but it is between 50 and 500 per cent. If the Minister does not have the data, I can give him three examples. There are altogether 50 such multinationals who have enhanced their prices from 50 per cent to 500 per cent. One such example is Amlogard-500 mg. tablet which is used for blood pressure even by Members of Parliament. Ten tablets of Amlogard are being sold by Pfizer at Rs. 260.95, whereas an Indian company by the name of Stangen at Hyderabad is selling 10 tablets of 250 mg. of Stamlo at Rs. 28. So, the difference in the price of a drug manufactured by a multinational and an Indian company is 839 per cent. These drugs are being sold on the prescription of doctors. These are not being guided by market forces or competitive prices. If a doctor prescribes a particular drug of Pfizer company, then the patient will buy the same for his psychological satisfaction.

Similarly, there is another drug named Lorvel and its 10 tablets of 250 mg. are being sold at Rs. 20, whereas a multinational company is selling it at a cost which is higher by 536 per cent. The increase is 536%. These are all very essential drugs used for hypertension. For diseases like AIDS also the public is not being spared. Retrovir is being sold at Rs. 535.25 and an Indian company is selling the same product at the rate of Rs. 200/-. I would like to know from the Minister whether such facts come to the notice of the Department or not. There is a list of fifty such drugs. I can supply to the Minister and i can place on the Table of the House the list of fifty multi-national companies who have raised their prices from 50% to 500%. I would also like to know from the hon. Minister whether he is going to take action under the provisions of the DPCO (10B) which empowers the Department to bring down the prices if any company, Indian or multinational, raises prices beyond the reach of the common man. Further, is he going to take suitable action in this matter or not? That is my question.

श्री राम लखन सिंह यादव : सभापित महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें एक साथ अपने प्रश्न में पूछी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: प्रश्न कम था, बयान ज्यादा था।

श्री रजनी रंजन साहू: हमने बयान नहीं दिया, ज्ञान दिया है। ऐसा हो रहा है। इसलिए आप इसको कर सकेंगे यह नहीं कर सकेंगे, यह सदन को बताएं। आपको जानकारी नहीं हैं तो मैंने आपको ज्ञान दिया हैं और सदन के पटल पर ज्ञान दिया है।

श्री राम लखन सिंह यादव : माननीय सदस्यों को तो हमेशा अधिकार है मंत्रियों को ज्ञान देने का और ध्यान दिलाने का । तो आपके ध्यान दिलाने और ज्ञान देने, दोनों बातों से मैं फायदा उठाऊंगा । आपने जो तथ्य कहे है, उनको आप मेरे पास भेजे दें अन्यथा मैं प्रोसीडिंग्ज से उन तथ्यों को ले लूंगा और उनमें कहां-कहां ज्ञान है और कहां-कहां ध्यान है, इन दोनों बातों को देखकर मैं आगे बात करूंगा।

में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां दवाइयों के फार्मूलेशंस हैं 50,000 और जो बल्क-डग्ज हैं उनकी संख्या लगभग 600 है। मांग के आधार पर मार्केट में देखा जाता है कि कितना दाम उसका बढा या घटा । हमारे यहां 600 में से करीब 327 दवाइयों के बारे में मार्केट में प्राइसेज के बारे में जो जांच की गई हैं, उसके अनुसार करीब-करीब 213 दवाइयां हैं जिन में 15 परसेंट वृद्धि हुई थी दिसंबर, 1995 में और कुछ दवाइयों के मामले में 40 परसेंट वृद्धि हुई है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इसके साथ ही बहुत सी दवाइयां ऐसी भी हैं, करीब 24 या 25, जो निर्धारित दाम से भी कम दाम में मिल रही है। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में मांग के आधार पर दाम घटते या बढ़ते हैं। सामान्यतः दवाइयों का मृल्य बहुत ज्यादा नहीं बढा हैं, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि इनके वक्तव्य में जो बातें आई हैं, उनको हमारा विभाग देखेगा कि कहां तक उनमें सत्यता है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : माननीय सभापित महोदय, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों के चलते हमारे देश को बहुराष्ट्रीय कंपिनयों का मुक्त अभ्यारण्य बना देने के कितने घातक परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर होंगे, इसके बारे में पहले से ही गंभीर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और आज ये आशंकाएं सही प्रमाणित ही रही हैं । महोदय, हाल ही में एक सर्वे किया गया, एक

जांच की गई जिससे यह पता चलता है कि भारतीय पेटेंट की क्या स्थिति है। महोदय, मेरे पास कुछ तथ्य हैं जिनसे यह पता चलता हैं कि 1980 के दशक से भारत के पेटेंटों में लगातार गिरावट आती जा रही है।

1970 में भारतीयों के पास 2568 पेटेंट थे जिनकी संख्या 1992-93 में घटकर 1024 हो गई । इसके साथ ही 1917 में भारत में कुछ पेटेंटों की संख्या 28321 थी, जो 1993-94 में घटकर सिर्फ 9276 हो गई है। जाहिर है कि इसका संबंध पेटेंट में किए जा रहे परिवर्तनों तथा इंटलेक्च्युएल प्रोपर्टी के बारे में किए जा रहे परिवर्तनों से है।

सभापित महोदय, में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि पिछले पांच वर्ष में दवाओं के पेटेंटों की क्या स्थिति रही है। उसका एक आकलन संसद के पटल पर रखें, तो हमारे देश की जनता को जानकारी मिलेगी और आज दवाओं के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका भी हम संबंध जोड़ कर देख पाएंगे? धन्यवाद।

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक पेटेंट एक्ट का सवाल है, 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट यहां लागु हुआ है। उसमें दो तरह का पेटेंट एक्ट लागु होता है। एक है – प्रोडक्ट, और दूसरा है-प्रोसस। हमारे यहां इंडियन पेटेंट एक्ट पर बाहर से किसी देश का असर नहीं पडता हैं। वह एक्ट अभी तक हमारे यहां लागू है। लेकिन जो अंतिम समझौता टिप्स से हुआ है। 1994 में, उसके आधार पर अभी भी हमारे देश में ऐसा किसी प्रकार का असर पेटेंट के चलते पड़ने वाला नहीं है। 2005 तक नहीं पड़ेगा । दस साल तक अभी भी हम फ्री हैं और इसलिए इस संबंध में जो हमको अपने ऊपर आर0एंड डी० का काम अधिक होना चाहिए उसमें अपने विभाग से हम करते हैं और यहां के जो लोग इस व्यापार में लगे हए हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी करते हैं। इसलिए अभी निकट भविष्य में इसका कोई असर इस देश पर पडने वाला नहीं हैं।

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY: Mr. Chairman, Sir, ours is a country where more than 40 per cent of the population lives below the poverty line. If the prices of the drugs go on increasing like this, Jien they will not be within the reach of the common man. If the multinational companies are selling their medicines at prices which are SO to 500 per cent more than the actual prices, then' the common man will not be able to get medicines at all. The tendency of the Indian manufacturers will also be such that they would increase the prices of their drugs. At the time of signing

Minister that they would see to it that the prices of medicines were not increased and that they would have control over the rise in prices and other things. But, to our surprise, within these few months, the prices of medicines have gone up very high. The tendency is such that they go on increasing the prices of drugs higher and higher.) would like to know the programme or the policy that the Government is going to adopt to bring down the prices or to stop this escalation in the prices of medicines. Sir, this is what I would like to know through you.

श्री राम लखन सिंह यादव : जो भेषज्य नीति हमने उस देश में पिछले वर्ष लागु की है, उसके तीन मुल सिद्धांत हैं। एक है - गूणवत्ता, दूसरा है -रिजनेबेल प्राईस व अवेलेबिलिटी । हमारे समाज को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक दवाई उसको मिल सके। उसमें अच्छी दवाईयां भी हों और उसका दाम भी रिजनेबेल हो, जो खर्च होता हैं उसके मृताबिक । इन तीन आधारों को मानकर ही हमने इस भेषज्य नीति को यहां अपनाया है। उस आधार पर अभी तक जैसा पहले मैंने कहा है कि दवाईयों का मुल्य बहुत अधिक नहीं बढा हैं और लोगों को हर तरह की दवाईयां का मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़ा हैं और लोगों को हर तरह की दवाईयां अवेलेबल है। जहां तक आप जानते हैं कि सैकडों दवाईयां हमारे मृल्य नियंत्रण में थी, उसको हमने घटाकर अब 76 में ला दिया हैं। इसके बावजूद भी जो मूल्य नियंत्रण से ज्यादा दाम लेंगे उसमें हमको कानुनी हक है कि जहां इसका पता चले कि लोग ऎसा करते हैं या तो हम उसको कंट्रोल में ले लेंगे या अन्य उपाय करेंगे। कोई अगर गरीबों से दाम बढ़ा कर ले, तो उसकी भी कोई गुंजायश नहीं है।

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Sir, I wanted to know the steps taken by the Government to check the hiking of prices. There is no answer to my question here.

श्री राम लखन सिंह यादव: मैंने तो इस संबंध में पहले ही बता दिया है उसके लिए इण्डिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट हैं, उसका यह काम है कि सारे आंकड़े इकट्ठा कर के बताये कि किस-किस का मूल्य कितना बढ़ा है उसके आधार पर मैंने कहा हैं और मेरे पास तो वही आधार है जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं अन्यथा कहां, कितना बढ़ा है वह तो मेरे सामनें प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन हमने देखा कि जिन 76 दवाइयों को नियंत्रण में रखा हैं, उसका बहुत अधिक परसन्टेज इसी में आ जाता है और बाकी जो दवायें छूट गई हैं वे तो बहुत कम हैं। इसलिए गरीबों पर, दवाइयों पर नियंत्रण का, कोई अधिक असर नहीं पड़ेगा। इस देश में जिन दवाओं

[RAJYA SABHA]

की ज्यादा से ज्यादा खपत है, उसका सबसे अधिक परसन्टेज इन 76 दवाइयों का हैं जो नियन्त्रण में है। इसलिए अलग से दवाओं का मूल्य बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठता।

SHRI ASHOK MITRA: This issue of the new GATT Treaty is extremely sensitive. There are very large sections of our people including our leading scientists and medical researchers who have expressed great reservations about the contents of this Treaty and the opportunity that it might provide to multi-national corporations to exploit our various life forms. So, all I want from the Government is an assurance that between now and the results of the new elections they should not take any steps which would substantively harm the country's interest. On this issue no further concessions must be conceded by the Government be; ween now and the results of the elections and till a new Government is installed. ! want an assurance from the Government on this

श्री राम लखन यादव: माननीय सदस्य को बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। इस देश में जब-जब चुनाव आते हैं, उन दिनों में संस्कार इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखती है कि कोई व्यक्ति इससे नाजायज फायदा नहीं उठाये और बराबर यह सरकार के ध्यान में है।

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, यह बिल्कुल

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir. under the GATT agreement, two amendments have been proposed. One amendment is in respect of drugs and pharmaceuticals and another is in respect of agriculture and chemicals. Sir, in our country, our handicap is that not much investment is made in inventions and science and technology, for the purpose of developing indigenous technology in the field of agriculture and drugs and pharmaceuticals. Therefore, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether by the proposed amendment — it has been brought and it is also pending now - whether the Minister visualises more inventions in this country by increased investment of money because compared to the United States which is spending 17 per cent on scientific inventions, our country is spending only 1.6 per cent. I would like to know whether by this proposed amendment more inventions would-come about in this country, especially in the field of drugs and pharmaceuticals. By way of competition, as the Minister said, price fluctuation will come down to be within the reach of the common man.

ठीक है कि आर0एंड डी0 में अन्य देशों में जो खर्च किया जाता है, खासतौर से अमरीका का उन्होंने नाम लिया है, निस्संदेह उस देश की जो आय हैं, उस देश का जो धन है, उस देश में जितना आविष्कार होता है, वहां एक बहुत बडी रकम इसमें खर्च की जाती है। लेकिन हम उस चीज को अपनाने से लाचार हैं, इसलिए कि हमारा देश गरीब है और कंपनियां भी अपेक्षाकृत गरीब है । इसलिए हमने यहां कम से कम 2 प्रतिशत रखा है कि ये लोग अपनी आमदनी का 2 प्रतिशत आर0एंड डी० पर लगायें। सरकार भी इसको देख रही है। तो हमने इस चीज की शुरूआत की है और कर रहे है । आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपति आर०एंड डी० पर अधिक जोर दे और अपनी आमदनी का अधिक पैसा इस पर लगाइये। इस प्रकार से सरकार आर एंड डी के बारे में सजग है । आपने देखा है कि क्योंकि हमारे यहां टिप्स समझौता आ रहा है. धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है. इसलिए हमारी और भी यह आवश्यकता हैं कि हम आगामी दस वर्षो में अधिक से अधिक आर एंड डी पर पैसा खर्च करें। जो हमारी आय है, उसके मताबिक अधिक से अधिक हम इस पर आगे आविष्कार करें।

\* 122. [THE Questioner (Shri Sunder Singh Bhandari) was absent. For answer vide col. 22 infra.]

## **TOXIC Effects of DDT**

\*I23. SHRI V. NARAYANASAMY Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to opinions expressed by some experts recently that DDT is a proven toxic chemical and its use as a pesticide should be banned; and

(b)if so, the reaction of Government thereto:

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (Shri Mohd. Ayub Khan): (a) and (b) Considering the toxic and persistent nature of DDT its continued use has been reviewed by the Government from time to time since 1984. Its use in Agriculture was withdrawn in May, 1989 and its use in public health programme is allowed upto 10,000 MT per annum.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has said in